

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक राजस्व निरीक्षक	पाली	सोजत
2	श्री शफीक अहमद	कनिष्ठ लेखाकार	एपीओ निदेशालय	नोहर
3	श्री विजय लोढा	सहायक राजस्व निरीक्षक	उदयपुर	एपीओ निदेशालय
4	श्री मुकेश कुमार सैनी	सफाई निरीक्षक	करौली	राजाखेडा
5	श्री कैलाश चन्द मीणा,	सफाई निरीक्षक	जैसलमेर	एपीओ निदेशालय
6	श्री फूलचंद पालीवाल	कनिष्ठ सहायक	दौसा	जयपुर
7	श्री महेन्द्र गोदारा	कनिष्ठ सहायक	अनूपगढ	रायसिंहनगर
8	श्री कैलाश चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	केसरीसिंहपुर	रायसिंहनगर
9	श्री महेश कुमार	सफाई कर्मचारी	पोकरण	कुचामनसिटी
10	श्री कालूराम/श्री सुरजमल	सफाई कर्मचारी	मांगरोल	अन्ता
11	श्री राधेश्याम/श्री भंवरलाल	सफाई कर्मचारी	फलौदी	बीकानेर
12	श्री जितेन्द्र/श्री गणपत राम	सफाई कर्मचारी	फलौदी	बीकानेर
13	श्री श्रवण/श्री बालकिशन	सफाई कर्मचारी	फलौदी	बीकानेर
14	श्रीमती मिनाक्षी/श्री नरेश	सफाई कर्मचारी	फलौदी	बीकानेर
15	श्री भवानी शंकर/श्री रामेश्वर लाल	सफाई कर्मचारी	फलौदी	बीकानेर
16	श्री सतीश हरिजन	सफाई कर्मचारी	डीग	वैर
17	सविता देवी	सफाई कर्मचारी	बान्दीकुई	जयपुर
18	श्रीमती श्यामा देवी	सफाई कर्मचारी	नोखा	बीकानेर
19	श्री कोमल/महेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	फलोदी	बीकानेर
20	श्री किरण/श्रीश्यामलाल	सफाई कर्मचारी	फलौदी	जोधपुर
22	श्री हुकमसिंह	फायरमैन	राजलदेसर	एपीओ निदेशालय

विभागीय आदेश क्रमांक प.1(ग)()का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/1015-1094 दिनांक 25.01.2019 के क्रम संख्या 01 पर अंकित श्री अमरसिंह धाकड, वरिष्ठ लिपिक का नगर पालिका बयाना से एपीओ निदेशालय किया गया स्थानान्तरण आदेश एवं विभागीय आदेश क्रमांक प. 1(ग)()का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/1015-1094 दिनांक 25.01.2019 के क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री पवन कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक का नगर पालिका, मेडतासिटी (स्थानान्तरण0Aधीन) से नगर पालिका, किशनगढ (अजमेर) में किया गया स्थानान्तरण आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यह यथावत अपनी उपस्थिति नगर पालिका बयाना व नगर पालिका मेडतासिटी में देवे।

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।

02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(सुनिल भाटी)

अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/3117-3152 दिनांक : 07/03/2019

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. महापोर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिकाारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....
5. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग
6. संबंधित कर्मचारी श्री
7. सुरक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)